



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार 20 जुलाई 2023

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-05, अंक- 292

महत्वपूर्ण एवं खास

भीलवाड़ा में रोडवेज स्टेशन में करंट

लगने से दो व्यक्तियों की मौत

भीलवाड़ा (आरएनएस)। राजस्थान के भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड परिसर में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई। प्राप्ता जानकारी के अनुसार रोडवेज बस स्टैंड परिसर में एटीएम गन्ने की चरखी लगी हुई उसी के पास जोधपुर क्षेत्र का रहने वाला बाबूलाल मीणा और एक मुस्लिम युवक सोया हुआ था बरसात के चलते रात्रि के समय किसी समय करंट लगने से दोनों की मौत हो गई। पुलिस की माने तो बाबूलाल एटीएम में सोता है जबकि दूसरा व्यक्ति वहां पर पराटा का ठेला लगाता है। अभी यह साफ नहीं हो पाया की करंट लगने की चरखी से फैला या किसी और कारण पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गए हैं।

एक ही परिवार के चार लोगों की गला काटकर हत्या, पेट्रोल डालकर शव भी जलाए

जोधपुर (आरएनएस)। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां एक ही परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। चारों शव जली अवस्था में एक झोपड़ी में से पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार ओसियां थाना क्षेत्र के रामनगर ग्राम पंचायत गंगाणीयो कि ढाणी में रात में झोपड़ी में सो रहे एक पुष्य, दो महिलाएं सहित एक बच्ची की गला काट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद झोपड़ी को तेल डालकर जला दिया गया। इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। चार लोगों की हत्या की सूचना के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। बुधवार सुबह घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतकों में परिवार के मुखिया पुनाराम बैरड़ (55), उनकी पत्नी भवनीदेवी (50), पुत्रवधु धापू (24) और सात महीने की बच्ची शामिल हैं। सामूहिक हत्याकांड की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्रसिंह यादव समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्नर, डींग स्वचायड के साथ घृस्ज भी जांच कर रही है।

जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने जारी की बाढ़ की चेतावनी

श्रीनगर (आरएनएस)। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने बुधवार को अगले दो दिनों के लिए बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के एक बयान में कहा गया है, वर्तमान में, जम्मू क्षेत्र के अधिकांश स्थानों और घाटी के अनंतनागा, कुलगाम क्षेत्र में बारिश हो रही है। जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले के कटरा में 24 घंटों में 315.4 मिमी बारिश हुई। यह 1980 के बाद से सबसे अधिक है। इससे पहले 31 जुलाई 2019 को यह 292.4 मिमी बारिश हुई थी। जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में अगले 3-4 घंटों तक बारिश जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। 20-22 जुलाई को जम्मू क्षेत्र के कई स्थानों पर और कश्मीर क्षेत्र के छिटपुट स्थानों पर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश/गर्ज के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस सप्ताह के दौरान जम्मू क्षेत्र के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश संभव है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और नदियों, व अन्य संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है।

दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर

नई दिल्ली (आरएनएस)। यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर 205.35 मीटर तक पहुंच गया है। बुधवार सुबह सात बजे यह खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। एक घंटे बाद जलस्तर 205.48 मीटर पर पहुंच गया। खतरे का स्तर 205.33 मीटर है। यह खतरे के स्तर से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अधिकारी पहाड़ी इलाकों में मौजूदा बारिश के कारण मात्रा में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। मंगलवार रात आठ बजे यह 205.3 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से थोड़ा नीचे था। हालांकि, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण यह फिर बढ़ गई और खतरे के निशान को पार कर गई। यमुना नदी ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 13 जुलाई को अपने उच्चतम स्तर 208.65 मीटर पर पहुंच गई। दिल्ली में बाढ़ के परिणामस्वरूप, कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, और सड़कों पर पानी भर गया।

अलकनंदा नदी के तट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ा हादसा, 15 की मौत

चमोली (आरएनएस)। उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी के तट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े हादसे की खबर है। यहां करंट लगने से फ्रीरी तौर पर 15 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं, कई लोगों के झुलसने की सूचना है। घायलों को पीपलकोटी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमों मौके पर मौजूद हैं। सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर काम चल रहा है। बुधवार को जिस समय हादसा हुआ, उस वक्त साइट पर 24 लोग मौजूद थे, झुलसे से करीब दस लोगों की मौत हुई है।

वहीं, झुलसे हुए कई लोगों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। डीएसपी प्रमोद शाह ने बताया कि कुछ झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। उनके चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

मीटर के तारों से फैला करंट- चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने आरएनएस संवाददाता को बताया कि बीती रात को बिजली का तीसरा फेस डाउन हो गया था। बुधवार को सुबह तीसरे फेज को जोड़ा गया, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं एलटी और एसटी के तार नहीं टूटे हैं, मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है।

चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने समाचार एजेंसी आरएनएस से बात करते हुए कहा कि 15 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाए गए हैं, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि वो भी घटना की ज्यादा जानकारी ले रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री

पूष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं और शाम तक मुआवजे का ऐलान हो सकता है। चमोली के अलकनंदा नदी के तट पर बने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट साइट पर एक ट्रांसफार्मर फट गया, हादसा इतना भयंकर था कि कई लोगों के करंट की चपेट में आने की खबर सामने आ रही है। यह हादसा चमोली के सीवर ट्रीटमेंट स्टेशन में हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले एक व्यक्ति करंट की चपेट में आया था, उसे बचाने गए लोग भी करंट की चपेट में आ गए।



पूष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं और शाम तक मुआवजे का ऐलान हो सकता है। चमोली के अलकनंदा नदी के तट पर बने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट साइट पर एक ट्रांसफार्मर फट गया, हादसा इतना भयंकर था कि कई लोगों के करंट की चपेट में आने की खबर सामने आ रही है। यह हादसा चमोली के सीवर ट्रीटमेंट स्टेशन में हुआ है। बताया जा रहा है कि पहले एक व्यक्ति करंट की चपेट में आया था, उसे बचाने गए लोग भी करंट की चपेट में आ गए।

दर्दनाक हादसा : निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा, दंपती और दो बेटों की मौत, 11 लोग घायल

बुलंदशहर (आरएनएस)। नरसेना थाना क्षेत्र मवई में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया है, जिससे एक ही परिवार के छह बच्चों समेत 15 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में दंपती और उनके दो बेटों की मौत हो गई, जबकि 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीएम ने मरने वाले लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद करने और मकान की मरम्मत करने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार नरसेना थाना क्षेत्र के गांव मवई निवासी राजपाल पुत्र हरचरण सिंह का मकान बन रहा था। मकान की पहली मंजिल पर पुनाराम लेंटर डाला हुआ था और दूसरी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। मंगलवार शाम को दूसरी मंजिल के तीन कमरों के ऊपर लेंटर डाला गया था। देर रात लेंटर डालने के बाद परिवार के 15 लोग मकान के



प्राउंड प्लोर पर चारपाई डालकर सो गए। बुधवार सुबह करीब तीन बजे दूसरी मंजिल पर डाला गया लेंटर पहली मंजिल की छत पर गिर गया। जिससे पहली मंजिल का लेंटर भी गिर गया और सो रहा परिवार मलबे के नीचे दब गया।

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम अरविंद कुमार सिंह, सीओ भास्कर कुमार मिश्रा और आसपास के इलाके की रेस्क्यू टीमों मौके पर पहुंची और परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाला। मलबे में दबने से राजपाल और उसकी पत्नी सुनीता, पुत्र धर्मेन्द्र व कुलदीप की मौत हो गई।

बड़ी आतंकी साजिश नाकाम : बंगलुरु में 5 संदिग्ध गिरफ्तार, गोला-बारूद भी बरामद

बंगलुरु (आरएनएस)। बंगलुरु में क्राइम ब्रांच ने पांच संदिग्ध आतंकीयों को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त संदिग्धों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नाम जुनेद, सोहेल, उमर, मुदासिर और जाहिद हैं। इनके पास से विस्फोटक सामग्री, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। सीसीबी पांच अन्य संदिग्धों की भी खोज में लगी है।

पुलिस का कहना है कि ये पांचों संदिग्ध 2017 के एक हत्याकांड में भी शामिल थे। उन्हें बंगलुरु सेंट्रल जेल भेजा गया था जहां वे किछ आतंकीयों के संपर्क में आ गए। इसके बाद आतंकीयों ने उन्हें हथियार बनाने और चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। सीसीबी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ये पांचों संदिग्ध बंगलुरु के अलग-अलग इलाकों



में रहते थे। जांच एजेंसी को संदेह है कि ये पांचों मिलकर बंगलुरु में धमाका करने की योजना बना रहे थे।

जानकारी के मुताबिक ये पांचों ही बंगलुरु के रहने वाले हैं। वे लगातार आतंकीयों के संपर्क में थे और उन्हें आतंकीयों से जानकारी मिलती रहती थी। जेल से रिहा होने के बाद से ही वे आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने में लगे थे। सीसीबी को सबूत मिले हैं कि वे विस्फोटक सामग्री बनाते थे। अधिकारियों

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा : आईजीपी की कार फूंकी गई, आरएएफ से झड़प में 19 महिलाएं घायल

इंफाल (आरएनएस)। इंफाल पश्चिम के चकीथेल इलाके में मंगलवार को एक भीड़ ने एक आईपीएस अधिकारी के वाहन को आग लगा दी, जबकि एक अन्य घटना में, उसी जिले में रेपिड एक्शन फोर्स के साथ झड़प के दौरान कम से कम 19 महिलाएं घायल हो गईं।

भीड़ ने पुलिस महानिरीक्षक-जोन दृढदृढ, के. कबीब के वाहन में आग लगा दी, जब वह अपनी एस्कॉर्ट टीम के साथ टिडिम रोड पर इंफाल की ओर जा रहे थे। घटना के दौरान, एक पुलिस कर्मी जलते हुए वाहन के अंदर से निकली गोली से घायल हो गया, जो उसके पैर में लगी।



हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षित रहे। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बाद में 30 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी घटना में, राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की मांग को लेकर धरने में भाग लेने के बाद महिलाओं

और आरएएफ कर्मियों के बीच झड़प हो गई। राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए, उन परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ व्यक्ति भी धरने में शामिल हुए, जिनके सदस्य पहले खमैनलोक घटना में मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों ने जब सिंगजामई बाजार से बाबापारा स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरिन सिंह ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। सीएम सचिवालय में आयोजित बैठक में मणिपुर सरकार के मुख्य सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मुख्य सचिव विनीत जोशी, पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट किया, राज्य सरकार राज्य में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। हालांकि, पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान गोलीबारी, आगजनी और अनियंत्रित भीड़ की छिटपुट घटनाओं के कारण कुछ स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण है।

पहलवान बनाम बृज भूषण : चार्जशीट से यौन उत्पीड़न के सूक्ष्म विवरणों का खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि चाहे भारत हो या विदेश, शक्तिशाली राजनेता ने कई मौकों पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। चार्जशीट में 2016 में मंगोलिया के एक होटल के भोजन क्षेत्र में हुई अनुचित यौन संपर्क की एक विशिष्ट घटना पर प्रकाश डाला गया है। दो गवाहों ने पीडिता के बयान का समर्थन करते हुए पृष्ठ की कि उन्होंने सिंह द्वारा किए गए कथित कृत्य को देखा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत इस प्रकार आरोप पत्र में दावा किया गया है कि सिंह ने भारतीय

दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत अपराध किया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल से संबंधित है। पीडिता, जिसे आरोपपत्र में ग्रेपलर (1) कहा गया है, का आरोप है कि सिंह ने उसे सात अलग-अलग मौकों पर परेशान किया। इसमें पांच अवसरों पर शारीरिक यौन उत्पीड़न और एक अवसर पर यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं। आरोपपत्र में इन आरोपों को 6-7 वर्षों की अवधि में उत्पीड़न का एक निरंतर पैटर्न माना गया है, जो सीआरपीसी की

धारा 164 के तहत पीडिता के बयान से समर्थित है। इसमें आगे दावा किया गया है कि यह व्यवहार पीछा करना है, जो आईपीसी की धारा 354डी के तहत अपराध बनता है। इसके अतिरिक्त, आरोप पत्र लखनऊ में एसएआई केंद्र में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में एक समूह तस्वीर के दौरान

अभद्र यौन संपर्क की घटना के संबंध में ग्रेपलर (2) द्वारा लगाए गए आरोपों को भी संबोधित करता है। गवाह ने पीडिता के बयान की पुष्टि की, जिससे आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध घोषित किया गया। इसी तरह, आरोप पत्र सोफिया, बुल्गारिया में अनुचित यौन संपर्क की एक घटना के संबंध में ग्रेपलर (3) द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करता है। पीडिता के बयान और तस्वीरों जैसे तकनीकी सबूतों के साथ गवाह मामले को और मजबूत करते हैं। नतीजतन, आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध स्थापित किया गया है। डब्ल्यूएफआई कार्यालय की घटना

के संबंध में, जहां आरोपी ने कथित तौर पर यौन संबंधों की मांग करके पीडिता के खिलाफ यौन संबंध बनाए, आरोप पत्र पीडिता की गवाही को सबूत मानता है। इस घटना को निजी माना जाता है और इसकी पुष्टि एक गवाह द्वारा की जाती है जिसने पीडिता को घटना के बारे में बताया है। गवाह सुना था। परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध, जो यौन रूप से रगीन टिप्पणी करने से संबंधित है, आरोप पत्र में स्थापित किया गया है। आरोपपत्र निश्चेक, किरिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान मछुआरे (4) द्वारा लगाए गए आरोपों को भी संबोधित करता है। अन्य गवाहों का उल्लेख किए बिना एकांत में घटित होने की रिपोर्ट को एक निजी घटना के रूप में माना जाता है। आरोपपत्र में कहा गया है कि पीडिता की गवाही, दो व्यक्तियों द्वारा समर्थित, जिन्होंने पीडिता को अपनी आपबीती सुनाते हुए सुना, आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध की स्थापना की ओर ले जाती है। इसके अलावा, आरोप पत्र कजाकिस्तान में एक घटना के संबंध में ग्रेपलर (5) द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है जहां आरोपी ने 2012 में पीडिता को जबरन गले लगाया। अंत में, आरोप पत्र में 2021 में बेल्लारी, कर्नाटक में अनुचित यौन संपर्क और यौन प्रगति की एक घटना के संबंध में ग्रेपलर (6) द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीडिता का बयान इन आरोपों का समर्थन करता है, जिसके कारण अपराध होता है।

डब्ल्यूएफआई कार्यालय की घटना